




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
मनोज बनाम पिकी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.6.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अत उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.7.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी ख0 सरख्या हाल 83 रकबा 0.3900 हे0 वाके ग्राम दयालपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर पर आगामी पेशी तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफूसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर ऊर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 12.7.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) </p> <p> 12-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अति.उप. आयन्दा दिनांक...12-9-22 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  रीडर </p>	

~~12-9-22~~ पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
 अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
 उभयपक्ष के अति.उप. आयन्दा दिनांक...~~18-10-22~~
 को पेश हो।


 रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
24-2-25	<p>वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश करने डिपेंड रिपोर्ट दिनांक 23/06/2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजरा)</p> <p>02/04/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अग्रि उप. आयन्दा दिनांक 25/05/25 को पेश हो।</p> <p>रिडर</p>
25/5/2025	<p>वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश करने डिपेंड रिपोर्ट दिनांक 23/06/2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजरा)</p>
23/06/25	<p>वकील प्रार्थी उप० वास्ते गौद नामीय पत्रावली दिनांक 11/8/25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजरा)</p> <p>11/8/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अग्रि उप. आयन्दा दिनांक 23/11/25 को पेश हो।</p> <p>रिडर</p>
22/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। ज०पत्र का मूलवाद जैसा ज०पत्र विज्ञा कर विज्ञा गया है। अतः ज०पत्र धारा 212 प्रा० अधी विज्ञा। कारिज ठिमा जाना है। ज०पत्र फेकल शुमार होकर संलग्न मूलवाद है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजरा)</p>